न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/253** दायर दिनांक **07.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. अब्दुर रहमान पुत्र श्री इब्राहीम खान जाति मुसलमान निवासी गोसिया मौहल्ला शैरानी आबाद डीडवाना।	**बनाम्**	1. अलाउदीन पुत्र श्री इब्राहीम खान 2. समाउदीन खा पुत्र श्री इब्राहीम खान 3. दौलत अली पुत्र इब्राहीम खान 4. अहमद अली पुत्र इब्राहीम खान 5. शरीफन बैवा इब्राहीम खान 6. शकीला बानो पुत्री इब्राहीम खान 7. शौकत पुत्र श्रीकालू खा जाति शैरानी मुसलमान निवासी गौसिया मौहल्ला डीडवाना। 8. तहसीलदार डीडवाना। (उपपंजीयक अधिकारी) डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53-188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री गनी मोहम्मद अधिवक्ता वादी
2. श्री अलताफ हुसैन अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 03 ता 07

दिनांक :– **23.11.2017**

–:: निर्णयः–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 7 एक ही परिवार से है तथा खेत खसरा न. 154 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा न. 1236/144 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खसरा न. 1173/158 रकबा 13 बीघा वाके सरहद शैरानी आबाद पटवार क्षैत्र शैरानी आबाद भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खाटू खुर्द व खसरा न. 527 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद खाटू खूर्द पटवार क्षेत्र खाटू खूर्द में स्थित है तथा खसरा नं0 21 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा खसरा न. 302 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद हमीदपुरा व खसरा न. 109 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा वाके सरहद सागु कलां में स्थित है। जो भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता स्व इब्राहिम खान की खातेदारी में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपी वाद के साथ प्रस्तुत है।

खेत खसरा न. 154, 1236,/144, 1173/158, 21, 302, 109 की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता इब्राहिम खा पुत्र कालू खा के नाम दर्ज है तथा खसरा न. 527 की खातेदारी वादी व प्रतिवादी स. 1

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Certified
Scanned by CamScanner

ता 7 के दादा व पिता कालू खा पुत्र बगसू खा के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता इब्राहिम का व वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 7 के दादा व पिता कालू खा का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिशान वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 7 है। स्व0 कालू खा पुत्र बगसू खा की खातेदारी का खेत खसरा न. 527 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद खादू खुर्द की भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 6 के पिता स्व. इब्राहिम खा के बंट में आई हुई है।उक्त भूमि पर स्व कालु खा के पुत्र प्रतिवादी सं 7 शौकत खा का कोई हक हिस्सा नही है तथा उक्त सम्पूर्ण खसरा न. 527 की भूमि प्रतिवादी स0 3 दौलत अली के हक व बंट में रखी हुई है तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त है।

वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 के पिता स्व इब्राहिम खा की खातेदारी में अवश्य दर्ज है लेकिन इब्राहिम खा के स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बंटवारा सम्पुर्ण खसरा न. की भूमि का हो गया तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण वर्तमान समय में भी उपरोक्त खसरान की भूमि में काबिज काश्त है।

1. वादी अब्दुल रहमान के बंट में आई भूमि :–खसरा न. 1236/144 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा में से 02 बीघा वाके सरहद शैरानी आबाद तथा खसरा न. 1173/158 रकबा 13 बीघा में से 03 बीघा 18 बिस्वा वाके रहद शैरानी आबाद व खसरा न. 109 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा में से 06 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद सागुकलां नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
2. प्रतिवादी सं0 1 अलाउदीन के बंट में आई भूमि:–खसरा न. 1236/144 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से 02 बीघा व खसरा न. 1173/158 रकबा 13 बीघा में से 03 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद शैरानी आबाद व खसरा नम्बर 109 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा में से 06 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद सागुंकला नजरी नक्शा अनुसुची "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
3. प्रतिवादी स0 2 समाउदीन खान के बंट में आई भूमि:–खसरा न. 1236/144 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा 05 बिस्वा व खसरा न. 1173/158 रकबा 13 बिघा में से 01 बीघा वाके सरहद शैरानी आबाद व खसरा न. 302 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि सम्पुर्ण वाके सरहद हमीदपुरा नजरी नश्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।
4. प्रतिवादी स0 3 दौलत अली के बंट में आई भूमि :– खसरा न. 1236/144 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा 05 बिस्वा व खसरा न. 1173/158 रकबा 13 बीघा में से 03 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद शैरानी आबाद व खसरा न. 527 रकबा 06 बिघा 16 बिस्वा भुमि सम्पुर्ण वाके सरहद खादू खार्दु नजरी नक्शा अनुसुचित "अ" अनुसार बंट में आई हुई।

5. प्रतिवादी स0 4 अहमद अली के बंट में आई भूमि :–खसरा न. 154 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा भुमि सम्पुर्ण तथा खसरा न. 1236/144

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

रकबा 08 औघा 06 बिस्वा में से 01 बीघा 05 बिस्वा वाके सरहद शैरानी आबाद तथा खसरा न. 21 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा भुमि सम्पूर्ण वाके सरहद हमीदपुरा नजरी नक्शा अनुसुचि "अ" अनुसार बंट में आई हुई है।

प्रार्थना वादी यह है कि:– वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के बीच संलग्न नजरी नक्शा अनुसुचि ,,अ,, अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा खेत खसरा न. 154 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा 1236/144 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा 1173/158 रकबा 13 बीघा वाके सरहद शैरानी आबाद व खसरा न. 21 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा 302 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद हमीदपुरा व खसरा न. 109 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा वाके सरहद सागु कंला की खातेदारी इब्रहीम खा के स्थान पर वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे इसी अनुरूप खेत खसरा न. 527 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद खादु खार्दु में कालु खा पुत्र बगुस खा के स्थान पर प्रतिवादी स0 3 दौलत अली के नाम राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावे तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के हक में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवारा कि जाकर खातेदारी घोषित की जावें।

प्रतिवादी स0 7 स्व0 कालू खा के पुत्र है तथा स्व0 कालु खा द्वारा प्रतिवादी स0 7 को दूसरा खेत बंट में दे दिया गया था इसलिए उपरोक्त खसरा न. 527 की भूमि में उनका हिस्सा नही बनता है। तथा प्रतिवादी स0 5 वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 की माता व प्रतिवादी स0 6 वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 की बहिन अपना हिस्सा अपने पुत्रों व भाईयों वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के हक में छोडना चाहती है। तथा कालु खा पुत्र बगूस खा की खातेदारी के खेत खसरा न. 527 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भुमि वाके सरहद खाटू खुर्द में स्थित है। जो कि वादी व प्रतिवादीगण के दादा व पिता है। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। तथा उक्त खसरा न. 527 की भुमि स्व कालु खा के पुत्र स्व0 इब्राहिम खा के बंट में रखी गई थी तथा स्व0 इब्राहिम खा के स्वर्गवास के पश्चात उक्त खसरा न. 527 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा की भूमि प्रतिवादी स0 3 दौलत अली के बंट में आई हुई है। तथा उसका ही कब्जा काश्त है। तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड से स्व0 कालु खा पुत्र बगसु खा का नाम हटाया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01, 02 व 08 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी व प्रतिवादी सं0 03 ता 07 ने राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 03 ता 07 ने इकबालिया जवाब भी पेश किया। राजीनामा व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–253/2017
दायर दिनांक 07.09.2017, निर्णय दिनांक 23.11.2017
अब्दुल रहमान बनाम अलाउद्दीन, वगैरा।

ईकबालिया जवाब अनुसार वादी का वाद नजरी नक्शा अनुसूची "अ" अनुसार डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया है। अतः जरिये राजीनामा वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर खेत खसरा नं0 154 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा न. 1236/144 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खसरा न. 1173/158 रकबा 13 बीघा वाके सरहद शैरानी आबाद व खसरा न. 527 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद खाटू खुर्द तथा खसरा नं0 21 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा, खसरा न. 302 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद हमीदपुरा व खसरा न. 109 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा वाके सरहद सागु कलां का वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नजरी नक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बंटवारा कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 05 व 06 का नाम उक्त खातेदारी में से हटाया जाता है तथा खसरा सं0 527 वाके सरहद खाटू खुर्द में से प्रतिवादी सं0 07 का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 23.11.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2017/253** दायर दिनांक **07.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. अब्दुर रहमान पुत्र श्री इब्राहीम खान जाति मुसलमान निवासी गोसिया मौहल्ला शैरानी आबाद डीडवाना।	बनाम्	1. अलाउदीन पुत्र श्री इब्राहीम खान 2. समाउदीन खा पुत्र श्री इब्राहीम खान 3. दौलत अली पुत्र इब्राहीम खान 4. अहमद अली पुत्र इब्राहीम खान 5. शरीफन बैवा इब्राहीम खान 6. शकीला बानो पुत्री इब्राहीम खान 7. शौकत पुत्र श्रीकालू खा जाति शैरानी मुसलमान निवासी गौसिया मौहल्ला डीडवाना। 8. तहसीलदार डीडवाना। (उपपंजीयक अधिकारी) डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53-188 R.T.Act.

दिनांक 23.11.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री गनी मोहम्मद अधिववक्ता वादी व श्री अलताफ हुसैन अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 03 ता 07 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा नं0 154 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा न. 1236/144 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खसरा न. 1173/158 रकबा 13 बीघा वाके सरहद शैरानी आबाद व खसरा न. 527 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद खाटू खूर्द तथा खसरा नं0 21 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा, खसरा न. 302 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद हमीदपुरा व खसरा न. 109 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा वाके सरहद सागु कलां का वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नजरी नक्शा अनुसूची "अ" अनुसार बंटवारा कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 05 व 06 का नाम उक्त खातेदारी में से हटाया जाता है तथा खसरा सं0 527 वाके सरहद खाटू खुर्द में से प्रतिवादी सं0 07 का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.11.2017** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner